उत्तर प्रदेश शासन

चीनी उद्योग अनुभाग-3

संख्या-39/2015/1480सी0डी0/46-3-15-28(58)/96,

लखनऊ दिनांक 02 जुलाई, 2015

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2435 सी0डी0-46-3-14-28(58)/96, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-।। के अधिकारियों की, शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68 सी0डी0-46-3-06-28(58)/96, दिनांक 17.01.2006 द्वारा घोषित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के पश्चात, नियुक्त एवं कार्यरत जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों के वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित करते हुए गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 के माध्यम से उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों से आपत्तियाँ आमंत्रित करते हुए, प्राप्त आपत्तियों के संबंध में संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश गन्ना आयुक्त को दिये गये। उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों को मूल रुप में संलग्न कर गन्ना आयुक्त के पत्रांक-2753/01-राज0/ज्ये0सूची, दिनांक 27 जनवरी, 2015 के माध्यम से आख्या शासन को प्राप्त हुई। अग्रेत्तर गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या-2838/01-राज्य/ज्ये0सूची दिनांक 04.02.2015 पत्र संख्या-3119/01-राज्य/ज्ये0 सूची, दिनांक 02.03.2015, पत्र संख्या-3260/01-राज्य/ज्ये0सूची, दिनांक 17.03.2015 एवं पत्र संख्या-981/01-राज्य/ज्ये0 सूची, दिनांक 16.06.2015 के माध्यम से कतिपय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये पूरक प्रत्यावेदनों को शासन को मूल रूप में उपलब्ध कराया गया है।

2- उपरोक्तानुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के विरूद्ध प्राप्त आपत्तियों/ प्रत्यावेदनों एवं उनके संबंध में गन्ना आयुक्त की आख्या तथा अन्य पूरक प्रत्यावेदनों का सम्यक परीक्षण करने के उपरान्त निम्नानुसार निस्तारण किया जा रहा हैः-

(क) शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2435 सी0डी0-46-3-14-28(58)/96, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-।। के अधिकारियों की, शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-68 सी0डी0-46-3-06-28(58)/96, दिनांक 17.01.2006 द्वारा घोषित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के पश्चात, नियुक्त एवं कार्यरत जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों के वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निम्नवत् प्रकाशित की गयीः-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	जन्म तिथि	श्रेणी-।। में नियुक्ति का दिनांक	श्रेणी-।। में स्थायी/ अस्थायी	भर्ती का श्रोत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री संजय गुप्ता	2001-02	10.02.69	03.02.05	स्थायी	सीधी भर्ती	--
2	श्रीमती ऊषा पाल	2001-02	13.07.76	27.10.04*	स्थायी	सीधी भर्ती	--
3	श्री रामवृक्ष राम	2001-02	01.02.71	27.10.04	स्थायी	सीधी भर्ती	--
4	श्री भुवनेश कुमार अरविन्द	2001-02	15.09.72	17.03.05	स्थायी	सीधी भर्ती	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	डा0 रामेश्वर सिंह	2006-07	12.12.58	29.11.07	अस्थायी	पदोन्नति	--
6	श्री हरपाल सिंह	2009-10	01.01.72	29.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
7	श्री राजीव राय	2009-10	15.01.72	01.07.10**	अस्थायी	पदोन्नति	--
8	श्री राजेशधर द्विवेदी	2009-10	01.09.73	28.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
9	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	2009-10	22.07.69	29.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
10	श्री ओम प्रकाश सिंह	2009-10	03.03.72	28.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
11	श्री यशपाल सिंह	2009-10	22.08.67	28.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
12	श्री विजय बहादुर सिंह	2009-10	25.07.78	28.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
13	श्री राजेश्वर यादव	2009-10	12.04.69	31.10.12**	अस्थायी	पदोन्नति	--
14	श्री ओम प्रकाश सिंह यादव	2009-10	01.01.72	29.10.12**	अस्थायी	पदोन्नति	--
15	श्री अनिल कुमार भारती	2010-11	15.01.76	31.10.12**	अस्थायी	पदोन्नति	--
16	श्री अशर्फी लाल	2009-10	15.07.74	28.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
17	श्री राम किशन	2009-10	01.05.76	28.06.10	अस्थायी	पदोन्नति	--
18	श्री अश्वनी कुमार सिंह	2006-07	10.07.76	15.09.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15.5.2013 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।
19	श्रीमती नमिता कश्यप	2006-07	05.06.77	26.05.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
20	श्री जगदीश चन्द्र यादव	2006-07	15.06.74	28.05.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
21	श्री राजेश कुमार	2006-07	07.09.78	15.09.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.06.2014 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।
22	श्री रणजीत सिंह	2006-07	07.10.82	01.07.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
23	श्री दुष्यन्त कुमार	2007-08	15.06.82	20.12.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
24	श्री सुशील कुमार	2007-08	01.07.71	20.12.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
25	श्री हेमराज सिंह	2007-08	20.07.72	23.12.11	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
26	श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी	2011-12	27.05.74	01.11.12**	अस्थायी	पदोन्नति	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31.10.2013 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।
27	श्री प्रभु नारायन सिंह	2011-12	17.08.73	31.10.12	अस्थायी	पदोन्नति	--
28	कु0 मंजू सिंह	2011-12	05.07.76	01.11.12	अस्थायी	पदोन्नति	--
29	श्री रणजीत सिंह कुशवाहा	2011-12	15.11.75	31.10.12	अस्थायी	पदोन्नति	--
30	श्री शैलेश कुमार मौर्य	2011-12	04.10.74	01.11.12	अस्थायी	पदोन्नति	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

31	श्री दिलीप कुमार सैनी	2011-12	12.07.78	14.11.12	अस्थायी	पदोन्नति	--
32	श्री रंजीत कुमार निराला	2011-12	12.02.79	01.11.12	अस्थायी	पदोन्नति	--
33	श्री सुनील कुमार	2011-12	15.01.74	07.11.12	अस्थायी	पदोन्नति	--
34	श्री महेन्द्र कुमार	2011-12	15.07.72	01.11.12	अस्थायी	पदोन्नति	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.02.2014 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।
35	श्री ब्रजेश कुमार पटेल	2011-12	23.12.71	28.12.12**	अस्थायी	पदोन्नति	--
36	श्री संजय कुमार	2011-12	08.08.80	06.11.12	अस्थायी	पदोन्नति	--
37	श्री हेमेन्द्र प्रताप सिंह	2008-09	16.07.79	29.12.12	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
38	श्री आनन्द कुमार शुक्ल	2008-09	04.07.78	27.12.12	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
39	श्री मैनेजर चैरसिया	2008-09	20.04.80	16.03.13*	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
40	श्री खुशी राम	2008-09	04.11.77	27.12.12	अस्थायी	सीधी भर्ती	--

<u>नोट-</u>

* सीधी भर्ती द्वारा आयोग से चयनित हैं, जिनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि बाद की है, किन्तु आयोग से प्राप्त मेरिट/कोटि क्रम के अनुसार रखा गया है।

** पदोन्नति के माध्यम से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से पदोन्नत हैं, जिनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि बाद की है, किन्तु पोषक संवर्ग (ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक) की ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.02.2010 में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के अनुसार रखा गया है।

(ख) उक्तानुसार प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों/ प्रत्यावेदनों एवं पूरक प्रत्यावेदनों का निस्तारण निम्नवत् किया जा रहा हैः-

(1) श्री वी0के0 शुक्ल, संयुक्त गन्ना आयुक्त(क्रय) मुख्यालय के प्रत्यावेदन दिनांक 12.10.2014, श्री विश्वेश कनौजिया, उप गन्ना आयुक्त, मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 22.10.2014, डा0वी0बी0सिंह, उप गन्ना आयुक्त, सहारनपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 22.10.2014, श्री शेर बहादुर, उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र-लखनऊ के दिनांक रहित प्रत्यावेदन एवं श्री राजेश मिश्र, उप गन्ना आयुक्त, मुरादाबाद के पत्र संख्या-1828, दिनांक 03.11.2014 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदनों में यह उल्लेख किया गया है कि शासन द्वारा पूर्व प्रसारित ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 के अनुसार जिला गन्ना अधिकारी पद से पदोन्नत प्राप्त अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्ठता सूची निर्गत नहीं की गयी है, जिससे संवर्ग में उन्हें अपनी ज्येष्ठता की स्थिति का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसी प्रकार श्री शाहिद परवेज, जिला गन्ना अधिकारी, सम्भल के पत्र संख्या-671, दिनांक 22.10.2014 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश संख्या- 2435 सी0 डी0 / 46-3-14-28(58)/96,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिनांक 01.10.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी- 2 की निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम दर्ज नहीं है। उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के सीधी भर्ती के उत्तर प्रदेश में वह वरिष्ठतम जिला गन्ना अधिकारी है। आज की तिथि में उ0प्र0 (राजपत्रित) गन्ना सेवा श्रेणी-1 व 2 में कार्यरत अधिकारियों में डा0 सुल्तान अहमद, अपर गन्ना आयुक्त के पश्चात् द्वितीय स्थान पर उनका नाम है। इसकी पुष्टि शासन द्वारा पूर्व में निर्गत ज्येष्ठता सूचियों से की जा सकती है। इतने वरिष्ठ अधिकारी को ज्येष्ठता सूची से बाहर करना न्यायोचित प्रतीत नहीं हो रहा है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि वह शासनादेश संख्या-2435 सी0डी0/46-3-14-28(58)/96, दिनांक 01.10.2014 द्वारा निर्गत ज्येष्ठता सूची से वह असहमत है। इसी के साथ उन्होंने उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-1 एवं 2 के सभी अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची एक साथ निर्गत कराने का अनुरोध किया है।

<u>निस्तारणः-</u>

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पूर्व में शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.01.2006 द्वारा उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-1 व 2 के समस्त अधिकारियों की सम्मिलित ज्येष्टता सूची निर्गत की गयी है, जो वर्तमान में प्रभावी है, इसी आधार पर इन वरिष्ठ अधिकारियों का नाम अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में उल्लिखित नहीं है एवं न ही उनसे आपत्तियां आमंत्रित की गयीं। कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-4/1/2002 टी.सी.-1-का-2/2012, दिनांक 05 मई, 2012 एवं समसंख्यक शासनादेश दिनांक 13 मई, 2012 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उन ज्येष्ठता सूची को निरस्त किया जाना अपेक्षित नहीं है, जो उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में दिनांक 14.09.2007 को तृतीय संशोधन के माध्यम से जोड़े गये नियम-8 क, जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुक्रम में कार्मिक विभाग द्वारा विधायी संशोधन द्वारा निकाल दिया गया है, के अनुसार नहीं बनाई गई थी अर्थात दिनांक 17.01.2006 को प्रख्यापित ज्येष्ठता सूची, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के वर्तमान प्राविधानों के अनुसार है तथा विधिवत प्रख्यापित एवं निर्विवादित है।

उल्लेखनीय है कि उक्त निर्विवादित ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 के आधार पर ही आपत्तिकर्ता श्री शुक्ल व अन्य अधिकारियों की पदोन्नति क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी के पद से उप गन्ना आयुक्त एवं उप गन्ना आयुक्त के पद से संयुक्त गन्ना आयुक्त के पद तथा संयुक्त गन्ना आयुक्त के पद से अपर गन्ना आयुक्त के पद पर की गयी है। चूकि शासन द्वारा, दिनांक 17.01.2006 को निर्गत की गयी ज्येष्ठता सूची के उपरान्त, उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत, जिनके नाम पूर्वोक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 में नहीं हैं, के संबंध में ज्येष्ठता निर्धारण हेतु अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 निर्गत की गयी है। अतः उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 उन अधिकारियों, जिनके नाम ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 में हैं, उन्हें भी सम्मिलित करते हुए पुनः ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना संगत नियमों के दृष्टिगत अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इनकी ज्येष्ठता पूर्व से ही निर्धारित एवं निर्विवादित है। श्री शाहिद परवेज सीधी भर्ती कोटे के सबसे वरिष्ठतम् अधिकारी हैं तथा शासन के परिपत्र दिनांक 17.01.2006 द्वारा उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों की निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची **(क्रमांक-1 से 58 तक)** में श्री परवेज का नाम क्रमांक-29 पर अंकित है, जो डा0 सुल्तान अहमद के ठीक बाद ज्येष्ठता क्रम में आते हैं, चूकि दिनांक 17.01.2006 को प्रकाशित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तिम ज्येष्ठता सूची के उपरान्त, सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में शासन द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 निर्गत की गयी है, इसलिए श्री परवेज की संवर्ग में ज्येष्ठता प्रभावित नहीं हो रही है तथा उनकी ज्येष्ठता, दिनांक 17.01.2006 को प्रकाशित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार ही अवधारित होगी।

उपरोक्तानुसार, उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-1 व 2 के वरिष्ठ एवं वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों की आपत्तियों को तद्नुसार इस प्रकार निस्तारित किया जाता है कि उनकी ज्येष्ठता शासन द्वारा दिनांक 17.01.2006 को प्रकाशित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के अनुसार अवधारित होगी एवं दिनांक 01.10.2014 को प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित क्रमांक-1 को, दिनांक 17.01.2006 को शासन द्वारा प्रख्यापित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-1 से 58 के पश्चात, क्रमांक-59 से प्रारम्भ एवं ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 के साथ सपठित माना जाय, जिससे कि उ0प्र0 (राजपत्रित) गन्ना सेवा श्रेणी-2 (पोषक संवर्ग) के नियुक्त/कार्यरत जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों के वरिष्ठता के संबंध में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

(2) श्री संजय गुप्ता, जिला गन्ना अधिकारी, बुलन्दशहर के पत्र संख्या-2440, दिनांक 21.10.2014 एवं श्रीमती ऊषा पाल, जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन/पत्र संख्या-2517, दिनांक 20.10.2014 में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में उल्लिखित ''उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 की दिनांक 17.01.2006 को निर्गत निर्विवादित ज्येष्ठता सूची के उपरान्त,'' के सम्बन्ध में यह आपत्ति की गयी है कि वे दिनांक 17.01.2006 को निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची से पूर्व विभागीय सेवा में थे, फिर भी उनका नाम दिनांक 17.01.2006 द्वारा जारी संदर्भित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में नहीं डाला गया। अब शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2435 सी0डी0/46-3-14-28(58)/96, दिनांक 01.10.2014 द्वारा जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अवलोकन से संज्ञान में आया है कि दिनांक 17.01.2006 को जारी अन्तिम ज्येष्ठता सूची में चयन वर्ष/अनुमोदन 2001-02 के सापेक्ष सीधी भर्ती से चयनित होने के बावजूद भी दिनांक 17.01.2006 को निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनका नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। दिनांक 17.01.2006 से निर्गत संदर्भित अन्तिम ज्येष्ठता सूची एवं इससे पूर्व जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उनको उपलब्ध/अवलोकित नहीं कराई गयी। अब से पूर्व जारी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची उनके सज्ञांन में नहीं थी, इस विसंगति एंव त्रुटि से उनकी पदोन्नति के सम्बन्ध में अपूर्णनीय क्षति हुई है, जिसका निदान करते हुए पदोन्नति हेतु यथोचित कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया है। इसी के साथ उन्होंने अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 पर कोई आपत्ति न होने का भी उल्लेख किया है।

<u>निस्तारणः-</u>

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से चयनोपरान्त शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-121 सी0डी0/46-3- 05-28(8)/2004, दिनांक 03.02.2005 द्वारा श्री संजय गुप्ता एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3290 सी0डी0/46-3-04-28(8)/2004, दिनांक 27.10.2004 द्वारा श्रीमती ऊषा पाल को जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके क्रम में श्री संजय गुप्ता द्वारा दिनांक 10.02.2005 (पूर्वान्ह) एवं श्रीमती ऊषापाल द्वारा दिनांक 01.11.2004 (पूर्वान्ह) को कार्यभार ग्रहण किया गया। पूर्व में उ0 प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनन्तिम ज्येष्ठता सूची शासन के पत्र दिनांक 30.09.2004 द्वारा निर्गत की गयी थी, जिसके क्रम में जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों के संबंध में अन्तिम ज्येष्ठता सूची शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-68 सी0डी0/46-3-06-28(58)/96, दिनांक 17.01.2006 द्वारा प्रख्यापित किया गया था। यदि श्री गुप्ता एवं श्रीमती उषा पाल को कोई आपत्ति थी तो उन्हें अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध तत्समय ही आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। अतः पूर्व में दिनांक 17.01.2006 को शासन द्वारा प्रकाशित अन्तिम ज्येष्ठता सूची में, उनके नाम नहीं होने के संबंध में, उक्त अधिकारियों द्वारा अब आपत्ति किया जाना नियमानुसार ग्राह्य प्रतीत नहीं होते है।

चूकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में निर्धारित वरिष्ठता क्रम के संबंध में इनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है, अतः इनकी आपत्तियाँ उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती हैं।

(3) डा0 राम बृक्ष राम, जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी के प्रत्यावेदन दिनांक 21.10.2014 एवं श्री भुवनेश कुमार अरविन्द, जिला गन्ना अधिकारी, फर्रुखाबाद के पत्र संख्या-368, दिनांक 20.10.2014 द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन के साथ लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा चयन वर्ष 2001-02 में सफल अभ्यर्थियों की दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला में दिनांक 28.11.2003 को प्रकाशित सूची संलग्न करते हुए अपना नाम श्रीमती ऊषापाल के ऊपर अंकित कराये जाने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही श्री अरविन्द द्वारा अपनी नियुक्ति की तिथि 17.03.2005 के स्थान पर दिनांक 26.04.2005 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>निस्तारणः-</u>

उपर्युक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2001 में सफल घोषित अभ्यर्थियों के संबंध में कार्मिक अनुभाग-4 के पत्र संख्या-15/10/2001-का-4-2004, दिनांक 06 मार्च, 2004 के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में आयोग की संस्तुति इस निर्देश सहित प्राप्त हुई थी कि चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता, उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के प्राविधानानुसार, आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी श्रेष्ठता सूची के अनुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त चयन परीक्षा, 2001 में जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी के कुल 06 पदों (03 पद पिछड़ी जाति एवं 03 पद अनुसूचित जाति) के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण के आधार पर महिला हेतु 01 पद को लेते हुए, चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा निम्नवत् योग्यता सूची (merit list) /क्रम निर्धारित करते हुए चयन की संस्तुति कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी:-

क्रं0सं0	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	प्राप्तांक
1	162685	श्री संजय गुप्ता	1032
2	157507	श्री शिव सेवक	1029
3	001244	श्री राम बृक्ष राम	996
4	098394	श्री भुवनेश कुमार अरविन्द	951
5	132290	श्री वीरेन्द्र सिंह	943
6	134009	ऊषा पाल	931

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-5 व नियम-8 व्यवस्थानुसार सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का निर्धारण आयोग की योग्यता सूची (merit list prepared by the commission)/ क्रम के अनुसार अवधारित की जाती है, जिसके आधार पर श्री राम बृक्ष राम एवं श्री भुवनेश कुमार अरविन्द को ज्येष्ठता क्रम में श्रीमती ऊषा पाल से ऊपर रखा जाना नियमानुसार अपेक्षित है। अतः इस आधार पर श्री राम बृक्ष राम एवं श्री भुवनेश कुमार अरविन्द को आयोग से प्राप्त उपरोक्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर, श्रीमती ऊषा पाल के ऊपर ज्येष्ठता प्रदान करते हुए, उनकी आपत्तियों को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

जहॉं तक श्री भुवनेश कुमार अरविन्द द्वारा की गई इस आपत्ति कि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 26.04.2005 है, तो इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में कालम-5 में नियुक्ति की तिथि, वह तिथि है, जिस तिथि में संबंधित अधिकारी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया। चूकि श्री भुवनेश कुमार अरविन्द को शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-179 सी0डी0/46-3-05 -28(8)/2004, दिनांक 17.03.2005 को नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था एवं उसी के आधार पर अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में नियुक्ति का दिनांक 17.03.2005 अंकित किया गया है। अतः श्री भुवनेश कुमार अरविन्द की नियुक्ति तिथि दिनांक 17.03.2005 में कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार श्री अरविन्द की आपत्ति को निस्तारित किया जाता है।

(4) श्रीमती नमिता कश्यप, जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद के प्रत्यावेदन दिनांक 20.10.2014, श्री सुशील कुमार, बीज उत्पादन अधिकारी, सहारनपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 20.10.2014, श्री रणजीत सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती के प्रत्यावेदन दिनांक 21.10.2014, श्री हेमराज सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, फैजाबाद के प्रत्यावेदन दिनांक 21.10.2014, डा0 दुष्यन्त कुमार, जिला गन्ना अधिकारी, बागपत के प्रत्यावेदन दिनांक 21.10.2014, श्री आनन्द कुमार शुक्ल, जिला गन्ना अधिकारी, सिद्धार्थनगर के दिनांक रहित प्रत्यावेदन एवं श्री मैनेजर चौरसिया, जिला गन्ना अधिकारी, अमरोहा के प्रत्यावेदन दिनांक 21.10.2014 द्वारा, गन्ना आयुक्त स्तर से परिचालित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के विरूद्ध निम्न आपत्तियां प्रस्तुत की गयी हैः-

(i) यह कि संदर्भित कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर-2 में यह अंकित है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 की दिनांक 17.01.2006 को निर्गत निर्विवादित ज्येष्ठता सूची के उपरान्त यह अनन्तिम ज्येष्ठता सूची परिचालित की जा रही है। पूर्व निर्गत ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 उपरोक्त अंकित नियमावली, 1991 के नियम-8 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत निर्विवादित बतायी गयी है, यथा जिस प्रकार उक्त आदेश दिनांक 17.01.2006 के द्वारा नियमावली, 1991 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी, प्रतिपादित की गयी, ठीक उसी प्रकार से इस ज्येष्ठता सूची में क्रमांक/ज्येष्ठता पूर्व निर्गत सिद्धान्त के अनुरूप न होने के फलस्वरूप प्रसारित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रथम दृष्ट्या नियम विरूद्ध प्रकट हो रही है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ii) यह कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली के नियम-8 के उपरान्त नियमावली में तृतीय संशोधन वर्ष 2007 में किया गया था तथा नया नियम-8क जोड़ा गया था। यह जोड़ा गया नियम मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित होने के उपरान्त दिनांक 27.04.2012 के अनुपालन में निकाल दिया गया, फलस्वरूप ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 मात्र प्रभावी है। उपर्युक्त नियमावली के नियम-5 के अन्तर्गत ज्येष्ठता केवल सीधी भर्ती द्वारा ही नियुक्त किये जाये, के सम्बन्ध में निर्धारित की जाती है तथा नियम-6 में जब केवल एक पोषक संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किये जाये तथा नियम-7 में जब कई पोषक संवर्गो से पदोन्नति द्वारा नियुक्त की जाये। ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अन्तर्गत ज्येष्ठता निर्धारण करने का नियम अंकित/प्रतिपादित किया गया है, जहाँ पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों से नियुक्ति की जाती है, उनकी ज्येष्ठता उपर्युक्त नियम-8 में निर्धारित की जायेगी जैसा कि संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप में थी, उक्त नियम अंकित किया गया है तथा पूर्व में दिनांक 17.01.2006 की ज्येष्ठता सूची भी इसी नियम-8 के अन्तर्गत निर्गत कर उक्त नियम के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित की गयी है।

(iii) यह कि उत्तर प्रदेश (गन्ना) राजपत्रित सेवा नियमावली, 1979 के भाग-3 भर्ती नियम-5 के अनुभाग ''ख''-सामान्य-1 के अनुसार आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा तथा नियम-2 के अन्तर्गत अधीनस्थ गन्ना सेवा समूह 'एक' के ऐसे स्थाई सदस्यों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष से जिससे रिक्तियों का संबंध हो प्रथम दिनांक को उस रूप में कम से कम 'सात वर्ष' की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ कि भर्ती इस प्रकार की जायेगी जहाँ तक सम्भव हो संवर्ग में 50 प्रतिशत पद प्रोन्नति द्वारा तथा 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा किये गये व्यक्तियों द्वारा गृहीत हो। भर्ती के वर्ष का नियमों में 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून को समाप्त होता है।

(iv) यह कि प्रोन्नत द्वारा 50 प्रतिशत पद जैसा नियमों में अंकित है, समूह-एक के स्थायी सदस्यों में से जिन्होंने सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, पदोन्नति द्वारा ऐसे स्थायी सदस्यों में से भरे जायेंगे। प्रसारित ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-06 से 17 तक प्रोन्नत व्यक्तियों को अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में रखा गया है तथा इनका चयन वर्ष 2009-10 दर्शाया गया है। वर्ग-एक में उपरोक्त क्रमांक-06 से 17 तक की स्थिति निम्नवत् हैः-

क्र0सं0	नाम	वर्ग एक में नियुक्ति/ प्रोन्नति का दिनांक
6	श्री हरपाल सिंह पुत्र श्री पीतम सिंह	16.12.2004
7	श्री राजीव राय पुत्र श्री मुन्नी राय	23.12.2004
8	श्री राजेश धर व्दिवेदी पुत्र श्री अर्जुन धर व्दिवेदी	22.12.2004

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

9	श्री अखिलेश प्रताप सिंह पुत्र, श्री विन्ध्याचल	23.12.2004
10	श्री ओम प्रकाश सिंह पुत्र श्री एल0बी0सिंह	21.12.2004
11	श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री परम सिंह	22.12.2004
12	श्री विजय बहादुर सिंह पुत्र श्री हरपाल सिंह	30.12.2004
13	श्री राजेश्वर यादव पुत्र श्री बुद्धू यादव	16.12.2004
14	श्री ओम प्रकाश सिंह यादव पुत्र डा0 शिवाधर	21.12.2004
15	श्री अनिल कुमार भारती पुत्र श्री रामभरोसे लाल	16.03.2005
16	श्री अशर्फी लाल पुत्र श्री मोती लाल	16.12.2004
17	श्री राम किशन पुत्र श्री रंजीत सिंह	14.12.2004

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि क्रम संख्या-06 से 14 तक की नियुक्ति/प्रोन्नति दिसम्बर, 2004 है, क्रम संख्या-15 की 16.03.2005 है तथा पुनः 16 व 17 की दिसम्बर, 2004 है, यथा चयन वर्ष जो 01 जुलाई से प्रारम्भ होता है, उपर्युक्त सभी क्रम संख्या- 6 से 17 तक सात वर्ष की सेवा 01 जुलाई, 2012 को प्रारम्भ होने वाले चयन वर्ष में यथा वर्ष 2012-13 में पदोन्नति के पात्र होंगे। सेवा नियमावली, 1979 के अन्तर्गत भर्ती का स्रोत प्रोन्नति व सीधी भर्ती दोनों प्रकार है। अतः जहां दो स्रोतों से भर्ती की जाये वहां उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक प्रोन्नति के लिए अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 प्रभावी नहीं होगी इस नियमावली के अन्तर्गत जब कोई पद प्रोन्नति द्वारा मात्र भरा जाता है, ऐसी पदोन्नति के लिए निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो और पात्रता क्षेत्र में अपेक्षित संख्या में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सरकार के प्रशासनिक विभाग, सरकार के कार्मिक विभाग के परामर्श से न्यूनतम सेवा अवधि में 50 प्रतिशत तक यथोचित रूप से शिथिलता प्रदान की जा सकती है। जिस संवर्ग की ज्येष्ठता सूची यथा उत्तर प्रदेश (गन्ना) राजपत्रित श्रेणी-2 के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है। यह पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से लिखित योग्यता परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा भरी जाती है। अतः प्रसारित ज्येष्ठता सूची के क्रमांक- 06 से 17 तक जो चयन दर्शाया गया वह त्रुटिपूर्ण प्रकट हो रहा है, क्योंकि सात वर्ष की सेवा दिसम्बर, 2011 में पूर्ण होने पर यह चयन वर्ष 2012-13 व अग्रेतर में पात्र हैं।

(v) यह कि क्रमांक-07,13,14,15 के आगे दो तारा चिन्ह लगाये गये है तथा पोषक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची 26.02.2010 में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के अनुसार रखा गया अंकित किया गया है। इनमें से क्रम संख्या 13,14 व 15 की नियुक्ति का दिनांक 31.10.2012, 29.10.2012 व 31.10.2012 अंकित है जबकि क्रमांक-18 से 25 तक सीधी भर्ती के अन्तर्गत नियुक्ति श्रेणी-2 की नियुक्ति का दिनांक 15.09.2011, 26.05.2011, 28.05.2011, 15.09.2011, 01.07.2011, 20.12.2011, 20.12.2011 व 23.12.2011 अंकित है यथा इन क्रमांक-13,14,15 को जो वर्ष 2012 में पदभार ग्रहण किये है उन्हें अनन्तिम ज्येष्ठता सूची सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त 2011 में पदभार ग्रहण करने वालों से वरिष्ठ अंकित किया गया है, जो किसी भी आदेश व अब तक प्रसारित नियमों के अन्तर्गत ग्राहय नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vi) यह कि क्रमांक-18 से 22 तक सीधी भर्ती का चयन वर्ष 2006-07 तथा क्रमांक-23 से 25 तक सीधी भर्ती का चयन वर्ष 2007-08 अंकित किया गया है, प्रकट है कि लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के पद विज्ञप्ति किये गये, प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये, लिखित परीक्षा आयोजित की गयी, साक्षात्कार आयोजित किया गया, योग्यता क्रम में चयन सूची बनायी गयी तथा चयनित अभ्यर्थियों के पुलिस सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षा आदि प्रक्रियाओं में समय व्यतीत हुआ, जिसके लिए चयनित व्यक्ति का कोई उत्तरदायित्व न होने के कारण पूर्व निर्गत अविवादित ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 में प्रख्यापित में चयन वर्ष 1996-97 में तथा अन्य वर्षो में चयनित सीधी भर्ती वालों को ज्येष्ठता चयन वर्ष के अनुसार निर्धारित की गयी है, जिसे संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप में निर्विवादित बताया गया है, जो ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अन्तर्गत बनायी गयी है, से विचलन का कोई औचित्य नहीं है। अतः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-18 से 25 ज्येष्ठता प्रसारित सूची के क्रमांक-05 के नीचे रखी जानी है एवं तदुपरान्त क्रमांक-06 से 17 के नाम अंकित किये जाने है। उपर्युक्त से प्रकट है कि प्रस्तावित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची नियम-8 के अनुसार नहीं बनायी गयी है।

(vii) यह कि इसी प्रकार क्रमांक-26 से 36 तक प्रोन्नति द्वारा वर्ष 2011-12 में प्रोन्नत जिनके द्वारा अक्टूबर-नवम्बर व दिसम्बर में कार्यभार ग्रहण किया गया उनको सीधी भर्ती के क्रमांक-37 से 40, वर्ष 2008-09 से वरिष्ठ दर्शाया गया है, जबकि इनका चयन वर्ष 2011-12 है तथा क्रमांक-38 श्री आनन्द कुमार शुक्ल का पदभार ग्रहण दिनांक 27.12.2012 दर्शाया गया है जबकि क्रमांक-35 पर पदोन्नति द्वारा श्री ब्रजेश कुमार पटेल द्वारा पदभार ग्रहण की तिथि 28.12.2012 है अतः प्रकट है कि पूर्ण ज्येष्ठता सूची नियम-8 के प्रावधानों के अन्तर्गत तैयार कर निर्गत नहीं की गयी है और इसमें संशोधन अपेक्षित है।

(viii) यह कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश से भी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची तैयार की गयी थी, जो उनके द्वारा पत्र संख्या 910/01-राज0/ज्येष्ठता सूची, दिनांक 22.07.2014 भेजी गयी है, उसमें चयन वर्ष के अनुसार नियम-8 के अन्तर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा सन्दर्भित प्रति द्वारा प्रसारित ज्येष्ठता सूची में इससे विचलन का कोई कारण/आधार दर्शित नहीं है।

अतः उपर्युक्त आपत्ति प्रस्तावित ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुए विनम्र निवेदन है कि ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अन्तर्गत इन आपत्तियों को विचार में लेते हुए न्यायोचित ज्येष्ठता सूची सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को न्याय प्रदान करते हुए अन्तिम की जाये तथा उचित होगा कि अन्तिमीकरण से पूर्व मौखिक सुनवाई का भी अवसर प्रदान किया जाये।

इसी प्रकार श्री हेमेन्द्र प्रताप सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बाराबंकी के पत्र संख्या-1226, दिनांक 22.10.2014 द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि वह लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से वर्ष 2008-09 में चयनित होने के फलस्वरूप गन्ना सेवा श्रेणी-2 में जिला गन्ना अधिकारी के पद पर दिनांक 29.12.2012 से नियुक्त व तैनात हैं। उनका नाम ज्येष्ठता सूची में क्रमांक-37 पर है। तद्क्रम में उन्होंने सीधी भर्ती द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का नाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पदोन्नत प्राप्त जिला गन्ना अधिकारियों से ऊपर रखते हुए क्रमांक-14 पर अपना नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया है।

इसी प्रकार श्री जगदीश चन्द्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी के प्रत्यावेदन/ पत्र संख्या-3257, दिनांक 21.10.2014 में, उपरोक्तानुसार ही आपत्तियॉ प्रस्तुत करने के साथ ही साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-19 पर अंकित श्रीमती नमिता कश्यप और वह एक ही बैच के है जबकि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी श्रेष्ठता सूची में उनका क्रमांक श्रीमती नमिता कश्यप से ऊपर है और उनका प्राप्तांक श्रीमती कश्यप से अधिक है। अतः उनका ज्येष्ठता क्रमांक श्रीमती नमिता कश्यप के साथ-साथ क्रमांक-6 से ऊपर अंकित किया जाय ।

<u>पूरक प्रत्यावेदन/आपत्तियॉ :-</u>

उपर्युक्त के अतिरिक्त श्री जगदीश चन्द्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 13.01.2015, श्रीमती नमिता कश्यप, जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 13.01.2015, श्री हेमराज सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, फैजाबाद द्वारा पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2015 एवं डा0 दुष्यन्त कुमार, जिला गन्ना अधिकारी, बागपत द्वारा पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 13.01.2015 एवं अन्य पूरक प्रत्यावेदन भी प्रस्तुत किये गये है, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 में श्रेणी-2 के जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पदों पर 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा चयन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। सीधी भर्ती द्वारा उनका चयन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 इलाहाबाद की विज्ञप्ति, 2007 के सापेक्ष किया गया है। वर्ष 2011 में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी तत्समय नियमावली में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत तत्समय (वर्ष 2007 में) पदोन्नति की अर्हता पूर्ण नहीं करते थे। पदोन्नति कोटे की तत्समय की रिक्तियों को आगामी वर्षों में अग्रनीत करते हुये पदोन्नति की गयी है। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता सेवा नियमावली, 1991 में निहित व्यवस्था ''उस स्थिति में ज्येष्ठता जब नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा की जाये अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे'', का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित पिल्ला सीताराम पट्टुडु बनाम भारत संघ, 1996(2)एस0एल0आर0 892, राजस्थान राज्य बनाम फतेह चन्द सोनी, 1996(1) एस0एल0आर0-1 एवं भयराम शर्मा बनाम हरियाणा विद्युत परिषद 1993(5) एस0एल0आर0 282 में पारित निर्णयों का उल्लेख करते हुये पदोन्नत कोटे के अधिकारियों से ऊपर अपनी ज्येष्ठता निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

इसी क्रम में श्री आनन्द कुमार शुक्ल, जिला गन्ना अधिकारी, सिद्धार्थनगर का दिनांक रहित पूरक प्रत्यावेदन, गन्ना आयुक्त के पत्र दिनांक 04.02.2015 द्वारा तथा श्री खुशीराम, जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया के पत्र संख्या-मेमो0, दिनांक 09.02.2015, श्री सुशील कुमार, बीज उत्पादन अधिकारी, सहारनपुर का प्रत्यावेदन दिनांक 11.02.2015 व श्री मैनेजर चौरसिया, जिला गन्ना अधिकारी, अमरोहा का प्रत्यावेदन दिनांक 12.02.2015 मूल रूप में संलग्न कर गन्ना आयुक्त के पत्र दिनांक 02.03.2015 के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

माध्यम से प्राप्त हुआ। उक्त प्राप्त पूरक प्रत्यावेदनों के माध्यम से इन अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में, क्रमांक-6 से 17 पर ज्येष्ठता क्रम में रखे गये पदोन्नति के माध्यम से चयनित जिला गन्ना अधिकारियों /बीज उत्पादन अधिकारियों के ऊपर रखते हुए ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की मांग की गयी है। इस संबंध में उक्त अधिकारियों के द्वारा शासन स्तर से निर्गत नियुक्ति पत्र, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के नियम-7 एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कतिपय निर्णयों का संदर्भ दिया गया है एवं साथ ही निम्न अभिकथन भी किये गये हैं:-

उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 की दिनांक 17.01.2006 द्वारा संवर्ग की निर्गत निर्विवादित ज्येष्ठता सूची, जो उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अनुरूप निर्गत है। दिनांक 17.01.2006 की वरिष्ठता सूची में चयन वर्ष 1977-78 के सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारीगण (क्र0सं0-13 से 21 तक) जिनकी नियुक्ति/योगदान तिथियां, वर्ष 1980, 1981 के अन्तर्गत विभिन्न माहों की तिथियों की है तथा चयन वर्ष 79-80 में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष नियुक्त सभी अधिकारीगण (क्र0सं0-22 से 27 तक) जिनकी नियुक्ति/योगदान की तिथि 01.07.79 है, जो कि सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों से पूर्व की है। इस प्रकार सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त अधिकारियों का चयन ''पूर्ववर्ती चयन'' (वर्ष 1977-78) तथा पदोन्नति के माध्यम से नियुक्त अधिकारीगण (क्र0सं0-22 से 27 तक) का चयन "पूर्ववर्ती चयन" (वर्ष 1979-80) होने के आधार पर (ज्येष्ठता निर्धारण निमावली, 1991 के नियम-1-'''..... पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्तियों से कनिष्ठ होंगे'' के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अधिकारियों का उक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्त अधिकारियों के सापेक्ष वरिष्ठता प्रदान की गयी है। अतः उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में विहित प्राविधानों तथा उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 की दिनांक 17.01.2006 द्वारा संवर्ग की पूर्व निर्गत निर्विवादित ज्येष्ठता सूची के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी अपनी वरिष्ठता, उक्त अनन्तिम वरिष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में क्र0सं0-6 से 17 तथा क्र0सं0-26 से 36 के ऊपर स्थापित होने के पूर्णतया पात्र है।

श्री जगदीश चन्द्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी व 08 अन्य, सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के विरूद्ध दिये गये प्रत्यावेदनों, **दिनांकित 21.10.2014 एवं पूरक प्रत्यावेदन दिनांक 13.01.2015** व अन्य को निस्तारित करने एवं उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को अन्तिम करते हुए ज्येष्ठता सूची में उन्हें उचित स्थान पर वरिष्ठता प्रदान किये जाने की याचना करते हुए, **मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-338(एस.बी.)/2015 जगदीश चन्द्र यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित** की गयी। उक्त रिट याचिका को मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.03.2015 द्वारा खारिज करते हुए यह निर्देश / अपेक्षा की है कि अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाते समय याचीगणों की आपत्तियों/प्रत्यावेदनों का निस्तारण किया जायेगा। **मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.03.2015 निम्नवत् हैः-**

Heard Mr. Rajesh Tiwari, learned counsel for the petitioners as well as learned Additional Chief Standing Counsel. The petitioners have prayed for issuing a writ of mandamus commanding the opposite parties to decide the objection dated 21 October 2014 and supplementary objection dated 13 January 2015, preferred by them against the tentive seniority list dated 1 October 2014.

We are informed that the objection raised by the petitioners are still under consideration and till no final seniority list has been published. Therefore, we hope that as and when final seniority list shall be published that shall be published only after considering all the objections raised by the petitioners. Therefore, at this stage we are not inclined to issue any such direction.

The writ petition is, accordingly, dismissed.

निस्तारणः-

(1) इस संबंध में उल्लेख करना है कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पद के नियुक्ति प्राधिकारी, गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 हैं। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पद की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति (गन्ना विकास निरीक्षक के पद से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर) एवं ज्येष्ठता निर्धारण की कार्यवाही उनके स्तर से ही की जाती है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पद पर नियुक्त कार्मिकों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित करते हुए गन्ना आयुक्त के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3054/सी/01 /वर्ग-1/स्था0, दिनांक 26.02.2010 द्वारा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है। उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 के नियम-5, भर्ती का स्रोत, के अनुसार जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (50 प्रतिशत) तथा अधीनस्थ गन्ना सेवा समूह-एक (ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक) के ऐसे स्थायी सदस्यों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के, जिससे रिक्तियों का संबंध हो, प्रथम दिनांक को उस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा किये जाने की व्यवस्था है। सेवा नियमावली की उक्त व्यवस्था के अनुसार ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथा- ज्येष्ठता सूची, स्थायीकरण की स्थिति, ब्राडशीट एवं पात्रता सूची व अन्य सूचनाओं सहित प्रस्ताव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 को प्रेषित किये जाते हैं तथा ऐसे प्रेषित किये गये प्रस्ताव पर लोक सेवा आयोग के स्तर पर, गठित ''विभागीय चयन समिति'' के द्वारा समस्त पहलुओं/कार्मिक विभाग के सुसंगत सेवा संबंधी नियमों के परिप्रेक्ष्य में विचार करने के उपरान्त पदोन्नति के संबंध में संस्तुति की जाती है। आयोग द्वारा पदोन्नति किये जाने की संस्तुति, जिसमें चयन वर्ष एवं पदोन्नति व्यक्तियों की योग्यता/श्रेष्ठता क्रम का उल्लेख होता है, शासन को, उपलब्ध करायी जाती है। इस प्रकार आयोग से प्राप्त संस्तुति के आधार पर पदोन्नति हेतु संस्तुत किये गये ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों को जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति किये जाने विषयक औपचारिक आदेश शासन स्तर से निर्गत किये जाते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रश्नगत मामले में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में, क्रमशः क्र0सं0-6 से 17 तथा क्र0सं0-26 से 36 पर उल्लिखित, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर पदोन्नति किये गये अधिकारियों को, पोषक संवर्ग में उनकी मूल ज्येष्ठता क्रम के अनुसार एवं पदोन्नति आदेश में दिये गये क्रमानुसार नाम के आधार पर तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता निमावली के नियम-8 व उसमें दिये गये उप नियमों/उपबन्धों के अधीन अवधारित करते हुए ज्येष्ठता प्रदान की गयी है। अग्रेतर यह कि कार्मिक विभाग की, अध्यारोही प्रभाववाली एवं संविधान के अनुच्छेद- 309 के 'परन्तुक' के अधीन प्रख्यापित'' उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिए अहर्कारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006(यथा संशोधित) के नियम-4 में प्राविधानित व्यवस्था "यदि कोई पद पदोन्नति द्वारा भरा जाता है और ऐसी पदोन्नति के लिए, यथा स्थिति, निम्नतर पद या पदों पर कोई निश्चित न्यूनतम सेवा अवधि विहित हो, को शिथिल किये जाने के संबंध में" है। जैसा कि उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा किया गया यह कथन कि उक्त नियमावली, उन पदों, जिनमें 50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं 50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने की व्यवस्था है, उनके संबंध में उपरोक्त शिथिलीकरण किये जाने संबंधी प्राविधान लागू नहीं होते हैं, उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि कार्मिक विभाग की उक्त शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में कहीं भी यह प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि उक्त नियमावली के प्राविधान, उन पदों के संबध में जिन पर चयन दोनों माध्यमों अर्थात सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा की जाती है, पर लागू/प्रभावी नहीं होगी।

इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि गन्ना आयुक्त के पत्र संख्या-2753/01-राज0/ज्ये0 सूची, दिनांक 27.01.2015 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति के लिये अहर्कारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2006 में परिवीक्षा अवधि को छोड़कर, विहित न्यूनतम सेवा अवधि में पचास प्रतिशत तक यथोचित शिथिलता प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है तथा उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 में अधीनस्थ सेवा समूह-1 के स्थायी सदस्यों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के जिससे रिक्तियों का संबंध हो, प्रथम दिनांक को उस रूप में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, लोक सेवा आयोग के माध्यम से पदोन्नति की व्यवस्था की गयी है। प्रत्यावेदन में संदर्भित अधिकारियों की पदोन्नति दो वर्ष परिवीक्षा अवधि एवं 50 प्रतिशत छूट के 3 वर्ष की सेवा (कुल लगभग 5) वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर की गयी है, जो नियमानुसार एवं उचित है।

इस प्रकार उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में, क्रमशः ज्येष्ठता क्रमांक-6 से 17 तथा क्रमांक-26 से 36 पर उल्लिखित अधिकारियों की जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति, शिथिलीकरण के प्राविधानों के अनुसार कार्मिक विभाग से अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण किये जाने के संबंध में प्राप्त अनापत्ति के आलोक में, आयोग द्वारा पदोन्नति किये जाने की संस्तुति के आधार पर की गयी है तथा नियमित रूप से पदोन्नति किये गये इन अधिकारियों की मौलिक नियुक्ति के आदेश, आपत्तिकर्ता अधिकारियों के मौलिक नियुक्ति के आदेश से पूर्व की हैं। इसी आधार पर पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को ज्येष्ठता सूची में, सीधी भर्ती द्वारा चयनित-आपत्तिकर्ता अधिकारियों से ऊपर वरिष्ठता प्रदान की जा रही है। यहाँ यह उल्लेख करना समीचीन है कि यदि आपत्तिकर्ताओं को पदोन्नति प्रक्रिया से कोई आपत्ति / असंतोष था, तो उन्हें पदोन्नति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आदेश निर्गत होने के उपरान्त ही समयान्तर्गत आपत्ति करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में उपरोक्त सीधी भर्ती द्वारा चयनित आपत्तिकर्ताओं द्वारा, पदोन्नति अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में ज्येष्ठता निर्धारण के इस प्रक्रम पर चुनौती दिया जाना नियमानुसार उचित एवं वर्तमान में ग्राह्य नहीं है।

श्री जगदीश चन्द्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी, श्रीमती नमिता कश्यप, जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद, श्री आनन्द कुमार शुक्ल, जिला गन्ना अधिकारी, सिद्धार्थनगर एवं श्री हेमेन्द्र प्रताप सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, बाराबंकी आदि उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा की गयी यह आपत्ति कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त कतिपय अधिकारियों की नियुक्ति की तिथियां, उनकी नियुक्ति आदेश के दिनांक के पश्चात् की हैं, किन्तु उन्हें अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में उनके ऊपर ज्येष्ठता प्रदान की गयी है, तो इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि अनन्तिम ज्येठता सूची दिनांक 01.10.2014 के नीचे अंकित नोट में यह अभ्युक्ति अंकित की गयी है कि पदोन्नति के माध्यम से ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर आयोग के माध्यम से पदोन्नत है, जिनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि बाद की है, किन्तु पोषक संवर्ग (ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक) की ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.02.2010 में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के अनुसार रखा गया है।

उक्त के संबंध में अग्रेतर यह उल्लेख करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के उपबन्धों में यह प्राविधानित है कि "पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो इस स्थिति के अनुसार कि पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग से या अनेक पोषक संवर्गो से होती है यथास्थिति, नियम-6 या नियम-7 में दिये गये सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जाय''। चूंकि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के एकल पोषक संवर्ग से पदोन्नति जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर की जाती है, ऐसी स्थिति में नियम-8 के उपबन्धों के अनुसार उक्त एकल पोषक संवर्ग से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में उक्त् नियमावली, 1991 का नियम-6 आकर्षित होता है। नियम-6 की व्यवस्था निम्नवत् हैः-

नियम-6- जहां सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियां केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो पोषक संवर्ग में थी।

स्पष्टीकरण- पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात् की गई हो, उस संवर्ग में जिसमें उनकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा जो पोषक संवर्ग में थी।

इस प्रकार उक्त से स्पष्ट है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में, क्रमशः क्रमांक-13, 14 एवं 15 पर उल्लिखित/पदोन्नति अधिकारियों को जो वरिष्ठता प्रदान की गयी है वह, कार्मिक विभाग की ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-6 व तद्विषयक स्पष्टीकरण के अनुसार एवं पोषक संवर्ग (ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक) की ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.02.2010 में निर्दिष्ट ज्येष्ठता के क्रम के अनुसार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पूर्णतया नियम संगंत है। तद्नुसार इन अधिकारियों के संबंध में श्री जगदीश चन्द्र यादव, श्रीमती नमिता कश्यप, श्री आनन्द कुमार शुक्ल, श्री हेमेन्द्र प्रताप सिंह, श्री मैनेजर चैरसिया आदि सीधी भर्ती द्वारा चयनित उपरोक्त आपत्तिकर्ता अधिकारियों की आपत्तियां निस्तारित की जाती हैं।

जहॉ तक श्री जगदीश चन्द्र यादव, जिला गन्ना अधिकारी, लखीमपुर खीरी द्वारा अपने प्रत्यावेदन संख्या-3257, दिनांक 21.10.2014 में किये गये यह अभिकथन कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में, ज्येष्ठता क्रमांक-19 पर अंकित श्रीमती नमिता कश्यप और वह एक ही बैच के है जबकि लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा जारी सूची में उनका क्रमांक श्रीमती नमिता कश्यप से ऊपर है और उनका प्राप्तांक श्रीमती कश्यप से अधिक है। अतः उनका ज्येष्ठता क्रमांक श्रीमती नमिता कश्यप के साथ-साथ क्रमांक 6 से ऊपर अंकित किया जाय।

श्री यादव की उक्त आपत्ति के संबंध में यह अवगत कराना है कि कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 08.07.2010 के माध्यम से उ0प्र0 सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2007 में जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के कुल 06 पद (03 सामान्य, 01 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 02 अनुसूचित जाति) के विरूद्ध सफल अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में लोक सेवा आयोग की संस्तुति प्राप्त हुई थी। आयोग से प्राप्त संस्तुति में श्री अजीत कुमार त्रिपाठी, श्री अश्वनी कुमार सिंह एवं श्रीमती नमिता कश्यप, सामान्य अभ्यर्थी के रूप में तथा श्री जगदीश चन्द्र यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी के रूप में तथा श्री राजेश कुमार एवं श्री रणजीत सिंह, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में चयनित हुए हैं। आयोग से प्राप्त योग्यता सूची (merit list prepared by the commission) /क्रम के अनुसार **श्री जगदीश चन्द्र यादव का कुल प्राप्तांक-1029.85 है तथा श्रीमती नमिता कश्यप का प्राप्तांक-1026.25 है।** चूँकि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 की व्यवस्थानुसार (नियम-5 व नियम-8) सीधी भर्ती के माध्यम से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता का निर्धारण आयोग प्राप्त योग्यता सूची (merit list prepared by the commission) /क्रम के अनुसार अवधारित की जाती है। अतः उक्त के दृष्टिगत **श्री जगदीश चन्द्र यादव** को आयोग से प्राप्त उपरोक्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर, श्रीमती नमिता कश्यप के ऊपर ज्येष्ठता प्रदान करते हुए, उनकी इस आपत्ति कि आयोग से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के अनुसार उन्हें श्रीमती नमिता कश्यप से ऊपर ज्येष्ठता अवधारित की जाय, को नियमानुसार ग्राह्य पाते हुए एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

तदनुसार उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों को निस्तारित करते हुए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के क्रमांक-18, 19, 20, 21 एवं 22 पर अंकित अधिकारियों क्रमशः श्री अश्वनी कुमार सिंह, श्रीमती नमिता कश्यप, श्री जगदीश चन्द्र यादव, श्री राजेश कुमार एवं श्री रणजीत सिंह के नियुक्ति के आदेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 15.04.2011 (तालिका के कालम-5 में उल्लिखित नियुक्ति तिथि के स्थान पर) अंकित किया जाता है तथा आयोग से प्राप्त योग्यता सूची (मेरिट/प्राप्तांक) के आधार पर श्री जगदीश चन्द्र यादव को श्रीमती नमिता कश्यप के ठीक ऊपर ज्येष्ठता निर्धारित की जाती है।

उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं द्वारा विभिन्न तिथियों में दिये गये अन्य पूरक प्रत्यावेदनों में किये गये यह अभिकथन कि उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

में पूर्व निर्गत निर्विवादित ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 में पूर्ववर्ती चयन वर्ष के विरूद्ध सीधी भर्ती द्वारा चयनित अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति तिथि बाद की है, को पश्चातवर्ती चयन वर्ष के विरूद्ध पदोन्नति द्वारा चयनित अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति की तिथि पूर्व की है, के ऊपर ज्येष्ठता दिये जाने की ओर ध्यानाकृष्ट करते हुए तद्नुसार ही चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किया जाय, के संबंध में यह उल्लेख करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि से ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की व्यवस्था है एवं उसमें चयन वर्ष के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। **दिनांक 17.01.2006 को निर्गत पूर्व ज्येष्ठता सूची अन्तिम (Final) एवं निर्विवादित है, इसलिए उक्त ज्येष्ठता सूची के संबंध में अब कोई कथन/आपत्ति विचारणीय नहीं है।** तथापि इन अधिकारियों द्वारा दिये गये दृष्टान्त के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि उक्त ज्येष्ठता सूची दिनांक 17.01.2006 में जिन अधिकारियों का चयन वर्ष बाद का है, किन्तु उनकी नियुक्ति तिथि पूर्व की है, वह इसलिए है कि उन अधिकारियों की पदोन्नति, तदर्थ रूप से, जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर की गयी थी तथा उक्त पदोन्नति के संबंध में लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की औपचारिक सहमति/स्वीकृति बाद में प्राप्त हुई थी एवं तदनुसार उन अधिकारियों के नियमित पदोन्नति के संबंध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1106 सी0डी0/ छियालिस-92, दिनांक 12 नवम्बर, 1992 द्वारा स्वीकृति दी गयी, जिसके आधार पर ही उन्हें, पूर्ववर्ती चयन वर्ष के सापेक्ष आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा नियमित रूप से चयनित अधिकारियों के नीचे, ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।

जहां तक अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के क्रमांक-6 से 17 तथा क्रमांक-26 से 36 पर, एकल पोषक संवर्ग-ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद से जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों को मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर ज्येष्ठता दिये जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में यह स्पष्ट करना है कि इन अधिकारियों की पदोन्नति किये जाने हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति किये गये हैं। इसलिए जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति किये जाने की तिथि अर्थात मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर उन्हें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के प्राविधानों के अनुसार ज्येष्ठता प्रदान की जा रही है।

इस प्रकार उक्त व्यवस्था के क्रम में निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के क्रमांक-6 से 17 तथा क्रमांक-26 से 36 के विरूद्ध आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आपत्ति नियम संगत नहीं होने के आधार पर स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार उपरोक्त आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति, उपरोक्त प्रस्तरों में दिये गये निष्कर्षों/संशोधनों सहित, एतद्द्वारा निस्तारित की जाती है।

(5) श्री दिलीप कुमार सैनी, जिला गन्ना अधिकारी, बदायूं के पत्र संख्या 1373-75, दिनांक 27.10.2014 द्वारा ज्येष्ठता सूची के क्रमांक-5 में नियुक्ति की तिथि 14.11.2012 के स्थान पर दिनांक 03.11.2012 एवं श्री शैलेश कुमार मौर्य, जिला गन्ना अधिकारी, बरेली के पत्र संख्या-1792, दिनांक 14.10.2014 द्वारा नियुक्ति की तिथि 01.11.2012 के स्थान पर 31.10.2012 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निस्तारणः-

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति के संबंध में आयोग से प्राप्त संस्तुति के क्रम में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1617सी0डी0/46-3-12-28(24)/2011, दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 द्वारा पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे, जिसके क्रम में श्री दिलीप कुमार सैनी द्वारा पदोन्नति के उपरान्त दिनांक 03.11.2012 (पूर्वान्ह) को तथा श्री शैलेश कुमार मौर्य द्वारा दिनांक 31.10.2012 (अपरान्ह) को जिला गन्ना अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है। इस प्रकार इन अधिकारियों के संबंध में पदोन्नति विषयक उक्त आदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2012 को मौलिक नियुक्ति की तिथि मानते हुए तदनुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को उपरोक्त के दृष्टिगत संशोधित करते हुए इनकी आपत्तियों को निस्तारित किया जाता है।

(6) श्री राजीव राय, जिला गन्ना अधिकारी, मेरठ के पत्र संख्या-3052, दिनांक 18.10.2014 द्वारा द्वितीय श्रेणी में नियुक्ति का दिनांक 01.07.2010 के स्थान पर 25.06.2010 तथा अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग-1 में स्थाई होने के फलस्वरूप कालम संख्या-6 में स्थाई अंकित किये जाने एवं श्री ओम प्रकाश सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, मुख्यालय के प्रत्यावेदन दिनांक 16.10.2014 द्वारा कालम संख्या-5 में नियुक्ति का दिनांक 28.06.2010 के स्थान पर 25.06.2010 तथा अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग-1 में स्थाई होने के फलस्वरूप कालम संख्या-6 में स्थाई अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

पूरक प्रत्यावेदन/आपत्तियाँ:-

श्री राजीव राय के द्वारा शासन में सीधे दिये गये पूरक प्रार्थना-पत्र (दिनांक रहित) में, सीधी भर्ती के चयनित अधिकारियों द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी आपत्तियों व उसमें उल्लिखित अभिकथनों के संबंध में, निम्न अभिकथन किया गया हैः-

(A) उपरोक्त आपत्ति के प्रस्तर-2 में यह सही कहा गया है कि जहाँ नियुक्ति का स्त्रोत सीधी भर्ती व पदोन्नति दोनों हो वहाँ पारस्परिक ज्येष्ठता का निर्धारण ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के अन्तर्गत ही हो सकता है।

(B) आपत्ति के प्रस्तर-3 व 4 में वर्णित तथ्य पूर्ण रुपेण भ्रामक असत्य व तथ्यहीन है एवं उनका प्रस्तुत ज्येष्ठता निर्धारण में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि प्रस्तर-3 व 4 में उल्लिखित व्यक्तियों की पदोन्नति नियमों में शिथिलीकरण की विहित प्रक्रिया को अपनाकर लोक सेवा आयोग के परामर्श के पश्चात की गयी है तथा वे सम्प्रति विधिक रुप से प्रोन्नति होकर अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन सम्यक् रुप से कर रहे हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थीगण की पदोन्नति सन 2010 में होने के पश्चात आज तक कभी किसी के द्वारा न तो श्रीमान के समक्ष और न ही किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगणों की उक्त पदोन्नति की वैधता के संबंध में कोई आपत्ति की गयी है तथा न ही इसे कभी भी चुनौती दी गयी है। अतः इस स्तर पर जबकि ज्येष्ठता का निर्धारण हो रहा है, इस बिन्दु को उठाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि प्रार्थीगण नियमित व विधिक रुप से पदोन्नति व्यक्ति है तथा इस रुप में सम्प्रति कार्यरत है। अतः नियमानुसार उन्हें सीधी भर्ती के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कर्मचारियों के ऊपर ज्येष्ठता/वरिष्ठता सूची में स्थान दिया गया है, जो सर्वथा विधि सम्मत व ज्येष्ठता नियमावली के प्राविधानों के अनुरुप है।

(C) आपत्ति के प्रस्तर-5 में उठाये गये बिन्दु के संबंध में यह निवेदन करना है कि दो तारा चिन्ह वाले व्यक्तियों/कर्मचारियों की ज्येष्ठता प्रस्तुत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में सही प्रकार से रखी गयी है क्योंकि पदोन्नति व्यक्तियों के बीच आपसी ज्येष्ठता का निर्धारण ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-6 के अन्तर्गत ही हो सकता है। जो कि सुसंगत नियम इस संबंध में है एवं तद्नुसार ही दो तारा चिन्ह वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को उनके पोषक संवर्ग की वरिष्ठता प्रदान करते हुए उनके कनिष्ठ कर्मचारी/अधिकारी (पोषक संवर्ग) के ठीक उपर रखा गया है। अतः यह आपत्ति भी महत्वहीन व औचित्यहीन है।

(D) आपत्ति के बिन्दु संख्या-6,7 व 8 में उठाये गये बिन्दु भ्रामक रुप से प्रस्तुत करके आपत्तिकर्ताओं द्वारा मूल विषय/बिन्दु से विचलित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूर्णरुपेण महत्वहीन व औचित्यहीन है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-5 में सीधी भर्ती द्वारा ज्येष्ठता निर्धारण में यह स्पष्ट रुप से उल्लिखित है कि एक चयन के परिणामस्वरुप चयनित व्यक्तियों की आपसी ज्येष्ठता आयोग के द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता के अनुरुप होगी। इस संबंध में विचारणीय यह है कि उक्त नियम-5 में **''एक चयन''** शब्द का उल्लेख किया गया है न कि **''एक चयन वर्ष''** का । अतः सीधी भर्ती से नियुक्त लोगों की ज्येष्ठता रिक्तियों के चयन वर्ष से निर्धारित न होकर उस वर्ष से निर्धारित होगी, जिस वर्ष में चयनित होकर उनके द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेख है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी की ज्येष्ठता/वरिष्ठता उस तिथि से निर्धारित नहीं की जा सकती, जिस तिथि को उस व्यक्ति का कैडर में जन्म ही नहीं हुआ था तथा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसी स्थिति में ज्येष्ठता पूर्ववर्ती तिथि से नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0-6967/2013 स्टेट आफ उ0प्र0 एवं अन्य बनाम अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं अन्य के वाद में विधिक व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है।

(E) यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 पूर्ण रुप से ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों व इस संबंध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधिक व्यवस्थाओं के अनुरुप है तथा इसे अन्तिम रुप दिया जाना पूर्णरुपेण उचित एवं समीचीन है।

तत्क्रम में प्रस्तुत अनन्तिम ज्येष्ठता सूचना दिनांक 01.10.2014 को यथावत अन्तिम ज्येष्ठता सूची के रुप में स्वीकृत व प्रख्यापित कराने का अनुरोध किया गया है।

<u>निस्तारणः-</u>

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1055 सी0डी0/46-3-07-28(38)/2003, दिनांक 25 जून, 2010 के द्वारा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग से पदोन्नति के संबंध में प्राप्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्तुति के अनुक्रम में नियुक्ति/पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये है, जिसके अनुपालन में क्रमशः श्री राजीव राय द्वारा पदोन्नति के उपरान्त दिनांक 01.07.2010 एवं श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा पदोन्नति के उपरान्त दिनांक 28.06.2010 को जिला गन्ना अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है। चूकि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के नियम-8 में यह प्राविधान है कि ''जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनो प्रकार से की जानी हो वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से इस नियम के उप नियम के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी।'' उक्त के दृष्टिगत श्री राजीव राय एवं श्री ओम प्रकाश सिंह की उक्त आपत्तियों को ग्राह्य मानते हुए उनकी नियुक्ति की तिथि दिनांक 25.06.2010 (नियुक्ति/पदोन्नति आदेश निर्गत किये जाने की तिथि 25.06.2010 के आधार पर) अंकित करते हुए निस्तारित किया जाता है। चूकि उक्त अधिकारी पदोन्नति के पद अर्थात जिला गन्ना अधिकारी के पद पर अभी स्थायी घोषित नहीं है, इसलिए अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के कालम-6 में अंकित स्थिति (अस्थायी) में अभी कोई परिवर्तन तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक कि इन्हें नियमानुसार जिला गन्ना अधिकारी के पद पर शासन द्वारा विधिवत स्थायीकरण के आदेश निर्गत न कर दिये जायें।

(7) श्री अशर्फी लाल, जिला गन्ना अधिकारी, सुल्तानपुर के पत्र संख्या-839, दिनांक 18.10.2014 द्वारा, अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के कालम संख्या-5 में नियुक्ति का दिनांक 28.06.2010 के स्थान पर दिनांक 25.06.2010, अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग-1 में स्थाई होने के फलस्वरूप कालम संख्या-6 में स्थाई अंकित किये जाने एवं क्रम संख्या 13,14,15 पर अंकित श्री राजेश्वर यादव, श्री ओम प्रकाश सिंह यादव एवं श्री अनिल कुमार भारती की पदोन्नति श्रेणी-2 में दो वर्ष पश्चात् होने के कारण उनकी ज्येष्ठता, उनके ऊपर निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

<u>निस्तारणः-</u>

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में, क्रम संख्या 13,14 एवं 15 पर अंकित अधिकारियों के पदोन्नति के आदेश बाद में निर्गत किये गये हैं, किन्तु उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8(2) (ख) में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत उनके पोषक संवर्ग अधीनस्थ गन्ना सेवा वर्ग-1 के अन्तर्गत पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारण विषयक गन्ना आयुक्त के आदेश दिनांक 26.02.2010 द्वारा निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची में उल्लिखित ज्येष्ठता क्रम में, क्रमशः ज्येष्ठता क्रमांक-30 पर श्री राजेश्वर यादव, क्रमांक-31 पर श्री ओम प्रकाश सिंह यादव, क्रमांक-32 पर श्री अनिल कुमार भारती तथा क्रमांक-33 पर श्री अशर्फी लाल का नाम है। उल्लेखनीय है कि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर पदोन्नति एकल पोषक संवर्ग (ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक) से किया जाता है। एकल पोषक संवर्ग (ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक) में निर्धारित उपरोक्त ज्येष्ठता क्रम एवं उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 एवं नियम-6 में दी गयी व्यवस्था/संगत प्राविधानों के आधार पर ही, उपर्युक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में, क्रमांक-13,14 एवं 15 पर उल्लिखित अधिकारियों को, आपत्तिकर्ता श्री अशर्फी लाल से ऊपर ज्येष्ठता प्रदान की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

इसी क्रम में यह भी उल्लेख करना है कि उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) के नियम-6 में यह व्यवस्था है कि **''जहाँ सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्तियाँ केवल एक पोषक संवर्ग से पदोन्नति द्वारा की जानी हो वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो पोषक संवर्ग में थी। इस नियम के ''स्पष्टीकरण'' में यह कहा गया है कि पोषक संवर्ग में ज्येष्ठ कोई व्यक्ति, भले ही उसकी पदोन्नति पोषक संवर्ग में उससे कनिष्ठ व्यक्ति के पश्चात की गयी हो, उस संवर्ग में जिसमें उसकी पदोन्नति की जाय, अपनी वही ज्येष्ठता पुनः प्राप्त कर लेगा, जो पोषक संवर्ग में थी।''**

इस प्रकार ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक संवर्ग की ज्येष्ठता सूची दिनांक 26.02.2010 में निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के अनुसार, अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में ज्येष्ठता क्रम संख्या-13,14,15 पर अंकित श्री राजेश्वर यादव, श्री ओम प्रकाश सिंह यादव एवं श्री अनिल कुमार भारती, को आपत्तिकर्ता श्री अशर्फी लाल से ऊपर रखा गया है, जो सेवा नियमावली/ज्येष्ठता नियमावली के दृष्टिगत नियमानुकूल एवं पोषक सवंर्ग में निर्धारित वरिष्ठता क्रम के अनुसार है। तदनुसार श्री अशर्फी लाल, जिला गन्ना अधिकारी की आपत्ति निस्तारित की जाती है।

(8) डा0 रामेश्वर सिंह, जिला गन्ना अधिकारी, कानपुर के पत्र संख्या 839/स्था0, दिनांक 13.11.2014 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 में अपनी जन्मतिथि 12.12.1958 के स्थान पर 20.12.1958 अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के अतिरिक्त उनके द्वारा कोई अभिकथन/आपत्ति नहीं की गयी है।

<u>निस्तारणः-</u>

उपर्युक्त के सम्बन्ध में गन्ना आयुक्त के पत्र दिनांक 27.01.2015 में यह अवगत कराया गया है कि डा0 रामेश्वर सिंह की सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि 20.12.1958 अंकित है, अतः इनकी जन्मतिथि 12.12.1958 के स्थान पर 20.12.1958 अंकित किये जाने की संस्तुति की जाती है। तदनुसार डा0 रामेश्वर सिंह, जिला गन्ना अधिकारी की आपत्ति के दृष्टिगत उनकी जन्म तिथि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में अंकित तिथि 12.12.1958 को संशोधित करते हुए, उसके स्थान पर **जन्म तिथि 20.12.1958 अंकित करते हुए,** इनकी आपत्ति को निस्तारित किया जाता है।

(9) श्री रणजीत सिंह कुशवाहा, जिला गन्ना अधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या-1229, दिनांक 23.10.2014, श्री राजेश्वर यादव, जिला गन्ना अधिकारी, पीलीभीत के पत्र संख्या-2390, दिनांक 14.11.2014 एवं श्री ओम प्रकाश सिंह यादव, जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या-4623, दिनांक 29.11.2014 में, शासन द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 से कोई आपत्ति नहीं होने का उल्लेख किया गया है।

<u>निस्तारणः-</u>

चूकि उक्त अधिकारियों द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 के विरुद्ध कोई आपत्ति नहीं की गयी है, अतः आपत्ति निस्तारण अपेक्षित नहीं है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इसी क्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2435 सी0डी0-46-3-14-28(58)/96, दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 द्वारा प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के प्रख्यापन के उपरान्त, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की संस्तुति पर सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 में जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर चयनित 09 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश शासन द्वारा निर्गत किये गये हैं जिसके अनुपालन में सभी नवनियुक्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारियों द्वारा विभिन्न तिथियों में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, की भी ज्येष्ठता निर्धारित की जानी है। चूकि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 में इन नवनियुक्त जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों का नाम सम्मिलित नहीं था, इसलिए उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-9 के प्राविधानों के अनुसार इनकी ज्येष्ठता को अन्तिम रूप से अवधारित किये जाने से पूर्व अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किया जाना विधिक रूप से आवश्यक था। जिसके दृष्टिगत इन नवनियुक्त (कुल 09) अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, इनकी मौलिक नियुक्ति की तिथि एवं आयोग से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर, अवधारित करने हेतु शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1217 सी0डी0/46-3-15-28(58)/96, दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत करते हुए गन्ना आयुक्त के माध्यम से आपत्तियां एवं आपत्तियों के संबंध में आख्या एवं संस्तुति शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये। उक्त **अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27 मई, 2015 में इन नवनियुक्त अधिकारियों को,** दिनांक 01.10.2014 को प्रकाशित की गयी अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में, क्रमांक-1 से 40 पर उल्लिखित अधिकारियों के नीचे रखते हुए, निम्नानुसार ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में आपत्ति मांगी गयीः-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	जन्म तिथि	श्रेणी-।। में नियुक्ति का दिनांक	श्रेणी-।। में स्थायी/ अस्थायी	भर्ती का श्रोत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
41	सुश्री सना आफरीन	2011-12	15.03.88	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
42	श्री रत्नेश्वर त्रिपाठी	2011-12	25.07.87	31.10.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
43	श्री वेद प्रकाश सिंह	2011-12	30.12.74	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
44	श्री अजय सिंह	2011-12	01.08.81	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
45	श्री कुलदीप सिंह	2011-12	15.07.78	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
46	डा0 चेतराम प्रजापति	2011-12	14.10.76	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
47	श्री साहब लाल यादव	2011-12	10.03.74	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
48	श्री सुभाष यादव	2011-12	01.07.79	31.10.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
49	श्री प्रदीप कुमार	2011-12	01.06.75	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--

(क) शासन के उपरोक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध सुश्री सना आफरीन, जिला गन्ना अधिकारी, मऊ के प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2015, श्री रत्नेश्वर त्रिपाठी, जिला गन्ना अधिकारी, रायबरेली के प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2015, श्री साहब लाल यादव, बीज उत्पादन अधिकारी, आजमगढ़ के प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2015, डा0 सुभाष यादव के प्रत्यावेदन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

दिनांक 08.06.2015, श्री प्रदीप कुमार, बीज उत्पादन अधिकारी, बुलन्दशहर के प्रत्यावेदन दिनांक 06.06.2015, डा0 चेतराम प्रजापति, जिला गन्ना अधिकारी, कासगंज के प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2015, श्री कुलदीप सिंह, बीज उत्पादन अधिकारी, शाहजहांपुर के प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2015, श्री वेद प्रकाश सिंह, बीज उत्पादन अधिकारी, बरेली के प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2015 एवं श्री अजय सिंह, बीज उत्पादन अधिकारी, सीतापुर के दिनांक रहित प्रत्यावेदन प्राप्त हुए, जिनमें उक्त अधिकारियों के द्वारा निम्न आपत्तियां की गयी हैं:-

1. शासन द्वारा जारी उपर्युक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के पृष्ठ संख्या त्रुटिपूर्ण प्रतीत हो रही है।
2. अनन्तिम ज्येष्ठता सूची पूर्व प्रकाशित निर्विवाद ज्येष्ठता सूची 2006 के अनुपालन में नहीं है।
3. समस्त जिला गन्ना अधिकारी संवर्ग (यथा जिला गन्ना अधिकारी, उप गन्ना आयुक्त, संयुक्त गन्ना आयुक्त एवं अपर गन्ना आयुक्त) को सम्मिलित नहीं किया गया है। जबकि उक्त निर्विवाद ज्येष्ठता सूची 2006 के प्रकाशन के उपरान्त ज्येष्ठता विनिर्धारण नियमों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन अथवा सुधार नहीं किया गया है।
4. यह तथ्य भी संज्ञान में लाना है कि ज्येष्ठता निर्धारण नियमावली एवं शिथिलीकरण नियमावली में विहित विनियमों में उपबन्धित नियम के अनुसारः-

   क- उक्त पदों पर जिन पर सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जानी हैं में योग्य अभ्यर्थियों के अभाव में शिथिलीकरण प्रक्रिया अपनायी जा सकती है जबकि जिला गन्ना अधिकारी का पद 50-50 प्रतिशत सीधी भर्ती एवं पदोन्नति द्वारा क्रमशः भरा जाता है जिसमें शिथिलीकरण की नीति का अपनाया जाना उचित नहीं है। अतः जिला गन्ना अधिकारी पद हेतु पदोन्नति में उक्त शिथिलीकरण नियम का अपवंचन प्रतीत होता है तथा सीधी भर्ती द्वारा आये जिला गन्ना अधिकारियों का हित प्रभावित होता है।

   ख- वर्ष 2010 में शिथिलीकरण नियमावली का अनुचित प्रयोग करते हुये पदोन्नति की गयी है जिससे सीधी भर्ती द्वारा पद प्राप्त जिला गन्ना अधिकारियों की ज्येष्ठता सीधे तौर पर दुष्प्रभावित हुई है।

   ग- उ0प्र0 ज्येष्ठता नियमावली 1991 व सेवा विधि भाग-2 के ज्येष्ठता के अवधारण में यह उल्लेख है कि एक चयन के परिणाम स्वरूप पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों प्रकार से किये जायेंगे तो वह पदोन्नत व्यक्तियों की सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के चक्रानुक्रम में अवधारित की जायेगी लेकिन उ0प्र0 ज्येष्ठता नियमावली 1991 व सेवा विधि भाग-2 ज्येष्ठता अवधारण का यहां अपवंचन किया गया है।

   उपुर्यक्त के साथ ही उ0प्र0 सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली 1991 के उपरोक्तानुसार नियमों अथवा उपबन्धों तथा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय विधियों द्वारा प्रतिपादित ज्येष्ठता निर्धारण के सुप्रतिष्ठित उपरोक्त सिद्धान्तों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने एवं न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुये एवं व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये नियमानुसार उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों की अन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. उपर्युक्त के अतिरिक्त डा0 चेतराम प्रजापति, जिला गन्ना अधिकारी, कासगंज के प्रत्यावेदन दिनांक 08.06.2015 द्वारा यह भी आपत्ति की गयी है कि उनके नियुक्ति आदेश उत्तर प्रदेश शासन चीनी उद्योग अनुभाग-3 संख्या 2316 सी0डी0/46-3-14-28(12)/2014 दिनांक 19.09.2014 में उल्लिखित है कि ''लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश की संस्तुति पर सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 में चयनित डा0 चेतराम प्रजापति को उ0प्र0 राजपत्रित (गन्ना) सेवा श्रेणी-।। के अन्तर्गत जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी संवर्ग में वेतनमान रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन, रु0 5400/- में अस्थायी रूप से एतद्द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं'', के अनुसार उनकी मौलिक नियुक्ति का वर्ष 2012 (चयन वर्ष 2011-12) है। यह भी उल्लेख किया गया है कि चयन वर्ष 2011-12 में सीधी भर्ती से 09 अधिकारियों एवं पदोन्नति से 11 अधिकारियों का चयन किया गया है। पदोन्नत द्वारा चयनित अधिकारियों को सीधी भर्ती द्वारा चयनित अधिकारियों से पूर्व कार्यभार ग्रहण कराया गया है, जिसमें उनका कोई दोष नहीं है।

6. श्री कुलदीप सिंह, बीज उत्पादन अधिकारी, शाहजहांपुर, श्री वेद प्रकाश सिंह, बीज उत्पादन अधिकारी, बरेली एवं श्री अजय सिंह, बीज उत्पादन अधिकारी, सीतापुर ने भी अपने प्रत्यावेदनों में, उपर्युक्त आपत्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी सेवा ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में विहित प्रावधानों के अनुसार ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

<u>निस्तारणः-</u>

शासन के उपरोक्त **कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मई, 2015 द्वारा निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध** प्राप्त उपरोक्त नवनियुक्त जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों के प्रत्यावेदनों की प्रति उपलब्ध कराते हुए गन्ना आयुक्त द्वारा अपने पत्र संख्या-958/01-राज0/ज्ये0 सूची, दिनांक 12.06.2016 के माध्यम से आख्या/ संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी। गन्ना आयुक्त से प्राप्त आख्या व अभिलेखों के अनुसार स्थिति एवं उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 व उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 (यथा संशोधित) के प्राविधानों के दृष्टिगत उपरोक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा हैः-

(1) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27 मई, 2015 की पृष्ठ संख्या-में कोई त्रुटि नहीं है। इस सूची के संलग्नक में कुल 04 पृष्ठ हैं, जिनमें दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 को प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची का उल्लेख करते हुए उपरोक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता में स्थिति को अनन्तिम रूप से प्रदर्शित किया गया है।

(2) अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27 मई, 2015 पूर्णतया ज्येष्ठता संबंधी प्रभावी नियमों के अनुसार बनायी गयी है। जहां तक वरिष्ठ अधिकारियों की ज्येष्ठता की स्थिति का संबंध है, तो उसके संबंध में यह स्पष्ट करना है कि उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-।। के अधिकारियों के संबंध में दिनांक 17 जनवरी, 2006 को अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जा चुकी है, जो निर्विवादित है, के उपरान्त व वर्तमान में नियुक्त/कार्यरत अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने के संबंध में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्गत की गयी है। चूंकि दिनांक 17 जनवरी, 2006 में

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उल्लिखित अधिकारियों की ज्येष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित हो चुकी है, इसलिए उसके पश्चात निर्गत अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में उनके नाम पुनः शामिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

(3) वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के पद से जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर, अर्हकारी सेवा में नियमों के अन्तर्गत शिथिलीकरण प्रदान करते हुए, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, जो एक संवैधानिक संस्था है, के स्तर पर सम्पन्न विभागीय चयन समिति की संस्तुति के क्रम में नियमित पदोन्नति की गयी थी। उक्त अधिकारियों की मौलिक नियुक्ति की तिथि, उपरोक्त आपत्तिकर्ता अधिकारियों (नवनियुक्त) की मौलिक नियुक्ति की तिथि से पूर्व की है, अतः उक्त के दृष्टिगत मौलिक नियुक्ति की तिथि के आधार पर आपत्तिकर्ता अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना, उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 के संगत प्राविधानों के आधार पर नियमसंगत है। अग्रेतर यह कि पदोन्नति द्वारा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियुक्त एवं वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में ज्येष्ठता निर्धारण के इस प्रक्रम पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाना नियमानुसार ग्राह्य एवं विचारणीय नहीं है।

(4) प्रश्नगत आपत्तिकर्ता अधिकारियों (नवनियुक्त) को उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 में सफल/चयनित होने के आधार पर कार्मिक विभाग के माध्यम से प्राप्त आयोग की संस्तुति के क्रम में वांछित औपचारिकतायें पूर्ण हो जाने के उपरान्त नियुक्ति पत्र, वर्ष 2014 में निर्गत किये गये, जिनके अनुपालन विभिन्न तिथियों पर उनके द्वारा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया गया है, जबकि **पदोन्नति द्वारा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर नियुक्त अधिकारियों की मौलिक नियुक्तियां वर्ष 2014 से पूर्व** की हैं। उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती से की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायेगी। चूकि पदोन्नति द्वारा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक पूर्व का है, इसलिए आपत्तिकर्ता अधिकारियों, जिनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक बाद का है, को ज्येष्ठ नहीं माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कार्मिक विभाग की उक्त ज्येष्ठता नियमावली, 1991 में **'चयन वर्ष'** के आधार पर ज्येष्ठता निर्धारित किये जाने का कोई नियम/प्राविधान नहीं है। अतः इस आधार पर उपरोक्त आपत्तिकर्ता अधिकारियों (नवनियुक्त) की आपत्तियां तद्नुसार निस्तारित की जाती हैं।

4- इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि दिनांक 01.10.2014 एवं तत्पश्चात् उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के निर्गमन के उपरान्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयनित/नवनियुक्त 09 अधिकारियों की नियुक्ति आदेश निर्गत होने के कारण उनकी ज्येष्ठता निर्धारण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किये जाने के संबंध में अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 27 मई, 2015 निर्गत करते हुए आपत्तियां आमन्त्रित की गयीं। तद्क्रम में प्राप्त आपत्तियों का सकारण आधार देते हुए उपरोक्त प्रस्तर-2 एवं प्रस्तर-3 के अनुसार निस्तारित किया गया है। उक्त निस्तारण उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सेवा नियमावली, 1979 के नियम-23 (ज्येष्ठता संबंधी) तथा उ0प्र0 सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में दिये गये प्राविधानों के आलोक में किया गया है। उपरोक्तानुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची क्रमशः दिनांक 01.10.2014 एवं 27 मई, 2015 में उल्लिखित जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों की ज्येष्ठता नीचे अंकित प्रस्तर-5 के अनुसार अन्तिम रूप से, इस अभ्युक्ति सहित निर्धारित की जा रही है, कि **यह ज्येष्ठता सूची, शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-68 सी0डी0/46-3-06-28(58)/96, दिनांक 17 जनवरी, 2006 द्वारा पूर्व में प्रकाशित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के साथ सपठित** मानी जायेगी।

5- उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2435 सी0डी0/46-3-14-28(58)/96, दिनांक 01.10.2014 द्वारा प्रकाशित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 एवं शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1217सी0डी0/46-3-15-28(58)/96, दिनांक 27 मई, 2015 के विरूद्ध, ऊपर दिये गये विवरण के अनुसार प्राप्त आपत्तियों/ प्रत्यावेदनों एवं पूरक प्रत्यावेदनों तथा तद्क्रम में प्राप्त गन्ना आयुक्त की आख्या एवं उ0प्र0 गन्ना (राजपत्रित) सवा नियमावली, 1979 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के नियम-8 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार, प्राप्त आपत्तियों का उपरोक्तानुसार निस्तारण एवं सीधी भर्ती द्वारा चयनित अधिकारियों के नियुक्ति पत्र की एवं पदोन्नति द्वारा चयनित अधिकारियों के पदोन्नति आदेश की तिथि के अनुसार मौलिक नियुक्ति की तिथि को तद्नुसार संशोधित करते हुए एवं लोक सेवा आयोग से प्राप्त योग्यता सूची (merit list prepared by the commission)/ क्रम के अनुसार अवधारित करते हुए, उत्तर प्रदेश गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-68सी0डी0/46-3-06-28(58)/96, दिनांक 17.01.2006 द्वारा पूर्व निर्गत अन्तिम ज्येष्ठता सूची के साथ सपठित है एवं उसके अन्तिम क्रमांक-58 के पश्चात्, इस सेवा में नियुक्त एवं कार्यरत जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों की ज्येष्ठता निर्धारण निम्नानुसार करते हुए ज्येष्ठता सूची **(क्रमांक-59 से प्रारम्भ होकर क्रमांक-107 तक)** अन्तिम रूप से प्रख्यापित की जाती हैः-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	चयन वर्ष	जन्म तिथि	श्रेणी-।। में मौलिक नियुक्ति का दिनांक	श्रेणी-।। में स्थायी/ अस्थायी	भर्ती का श्रोत	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
59	श्री संजय गुप्ता	2001-02	10.02.69	03.02.2005	स्थायी	सीधी भर्ती	--
60	श्री रामवृक्ष राम	2001-02	01.02.71	27.10.2004	स्थायी	सीधी भर्ती	--
61	श्री भुवनेश कुमार अरविन्द	2001-02	15.09.72	17.03.2005	स्थायी	सीधी भर्ती	--
62	श्रीमती ऊषा पाल	2001-02	13.07.76	27.10.2004	स्थायी	सीधी भर्ती	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

63	डा0 रामेश्वर सिंह	2006-07	20.12.58	29.11.2007	अस्थायी	पदोन्नति	--
64	श्री हरपाल सिंह	2009-10	01.01.72	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
65	श्री राजीव राय	2009-10	15.01.72	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
66	श्री राजेश धर व्दिवेदी	2009-10	01.09.73	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
67	श्री अखिलेश प्रताप सिंह	2009-10	22.07.69	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
68	श्री ओम प्रकाश सिंह	2009-10	03.03.72	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
69	श्री यशपाल सिंह	2009-10	22.08.67	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
70	श्री विजय बहादुर सिंह	2009-10	25.07.78	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
71	श्री राजेश्वर यादव	2009-10	12.04.69	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
72	श्री ओम प्रकाश सिंह यादव	2009-10	01.01.72	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
73	श्री अनिल कुमार भारती	2010-11	15.01.76	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
74	श्री अशर्फी लाल	2009-10	15.07.74	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
75	श्री राम किशन	2009-10	01.05.76	25.06.2010	अस्थायी	पदोन्नति	--
76	श्री अश्वनी कुमार सिंह	2006-07	10.07.76	15.04.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 15.5.2013 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।
77	श्री जगदीश चन्द्र यादव	2006-07	15.06.74	15.04.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
78	श्रीमती नमिता कश्यप	2006-07	05.06.77	15.04.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
79	श्री राजेश कुमार	2006-07	07.09.78	15.04.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27.06.2014 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।
80	श्री रणजीत सिंह	2006-07	07.10.82	15.04.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
81	श्री दुष्यन्त कुमार	2007-08	15.06.82	16.12.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
82	श्री सुशील कुमार	2007-08	01.07.71	16.12.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
83	श्री हेमराज सिंह	2007-08	20.07.72	16.12.2011	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
84	श्री धीरेन्द्र सिंह चौधरी	2011-12	27.05.74	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31.10.2013 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

85	श्री प्रभु नारायन सिंह	2011-12	17.08.73	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
86	कु0 मंजू सिंह	2011-12	05.07.76	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
87	श्री रणजीत सिंह कुशवाहा	2011-12	15.11.75	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
88	श्री शैलेश कुमार मौर्य	2011-12	04.10.74	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
89	श्री दिलीप कुमार सैनी	2011-12	12.07.78	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
90	श्री रंजीत कुमार निराला	2011-12	12.02.79	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
91	श्री सुनील कुमार	2011-12	15.01.74	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
92	श्री महेन्द्र कुमार	2011-12	15.07.72	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.02.2014 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।
93	श्री ब्रजेश कुमार पटेल	2011-12	23.12.71	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
94	श्री संजय कुमार	2011-12	08.08.80	26.10.2012	अस्थायी	पदोन्नति	--
95	श्री हेमेन्द्र प्रताप सिंह	2008-09	16.07.79	21.12.2012	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
96	श्री आनन्द कुमार शुक्ल	2008-09	04.07.78	21.12.2012	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
97	श्री मैनेजर चौरसिया	2008-09	20.04.80	22.01.2013	अस्थायी	सीधी भर्ती	कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22.05.2015 द्वारा विभाग से कार्यमुक्त।--
98	श्री खुशीराम	2008-09	04.11.77	21.12.2012	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
99	सुश्री सना आफरीन	2011-12	15.03.88	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
100	श्री रत्नेश्वर त्रिपाठी	2011-12	25.07.87	31.10.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
101	श्री वेद प्रकाश सिंह	2011-12	30.12.74	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
102	श्री अजय सिंह	2011-12	01.08.81	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
103	श्री कुलदीप सिंह	2011-12	15.07.78	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
104	डा0 चेतराम प्रजापति	2011-12	14.10.76	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
105	श्री साहब लाल यादव	2011-12	10.03.74	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
106	श्री सुभाष यादव	2011-12	01.07.79	31.10.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--
107	श्री प्रदीप कुमार	2011-12	01.06.75	19.09.2014	अस्थायी	सीधी भर्ती	--

6- तद्नुसार अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 01.10.2014 एवं दिनांक 27 मई, 2015 के विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों / पूरक प्रत्यावेदनों का निस्तारण करते हुए, उपरोक्त **प्रस्तर- 5** के अनुसार उत्तर प्रदेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गन्ना (राजपत्रित) सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत नियुक्त एवं कार्यरत जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता अन्तिम रूप से निर्धारित की जाती है, जो शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-68 सी0डी0/46-3-06-28(58)/96, दिनांक 17 जनवरी, 2006 द्वारा पूर्व में प्रकाशित अन्तिम ज्येष्ठता सूची के साथ सपठित मानी जायेगी। तद्नुसार निर्धारित की जा रही अन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरूद्ध अब कोई प्रत्यावेदन ग्राह्य नहीं होंगे।

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या-39/2015/1480(1)सी0डी0/46-3-15-28(58)/96, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- गन्ना आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्त ज्येष्ठता सूची को अपने स्तर से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों एवं जिला गन्ना अधिकारियों/बीज उत्पादन अधिकारियों को सूचनार्थ परिचालित कराने का कष्ट करें।

2- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- विशेष सचिव, कार्मिक अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।